भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH
कृषि भवन, डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली–110 001
Krishi Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi 110 001

फा0सं0 रा0भा0 2(1)/2016–हिन्दी

दिनांक : 27 मई, 2016

परिपत्र

विषय :– राजभाषा हिन्दी के प्रचार–प्रसार में जुटी निजी संस्थाओं द्वारा आयोजित किए जाने वाले सम्मेलनों, सेमिनारों और कार्यशालाओं में नामांकन के संबंध में

उपर्युक्त विषय में यह उल्लेख है कि समय–समय पर निजी संस्थाओं द्वारा आयोजित किए जाने वाले सम्मेलनों, सेमिनारों और कार्यशालाओं में मंत्रालय/विभाग/कार्यालय से कार्मिकों को नामित करने के लिए मंत्री महोदय, महानिदेशक महोदय और सचिव महोदय तथा परिषद के अधीनस्थ संस्थानों में निदेशक को संबोधित वीआईपी पत्र प्राप्त होते रहते हैं। इन संस्थाओं द्वारा आयोजित किए जाने वाले सम्मेलनों, सेमिनारों और कार्यशालाओं में नामांकन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से दिशा–निर्देश बनाए गए हैं जो इस प्रकार है :–

1. निजी संस्था राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित न हो।
2. केवल उन्हीं निजी संस्थाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित किया जाए जिन्हें स्थापित हुए कम से कम 10 वर्ष का समय हो चुका हो और राजभाषा प्रशिक्षण के क्षेत्र में उनका बृहत अनुभव हो।
3. ये संस्थाएं पंजीकृत होनी चाहिए।
4. इन संस्थाओं द्वारा विगत वर्षों में आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की कार्यवाही जारी की गई हो या स्मारिका/पुस्तिका प्रकाशित की हो।
5. संस्था द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में न्यूनतम सहायक निदेशक (राजभाषा) व उससे उच्चतर या उसके समकक्ष अधिकारियों द्वारा प्रतिभागिता की गई हो।
6. संस्थाओं द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जिन विषयों पर चर्चा और विचार–विमर्श किया जाए वे प्रासंगिक तथा राजभाषा अधिकारियों के दैनिक सरकारी कार्यों के निष्पादन के लिए उपयोगी हों।
7. इन प्रशिक्षणों में तभी नामांकन किए जाएं जब इस प्रकार के प्रशिक्षण किसी सरकारी संगठन द्वारा न किए जा रहे हों।
8. परिषद/संस्थानों द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों के नामांकन सक्षम प्राधिकारी के विवेक, अनुमोदन तथा संस्थान में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुसार किए जाएं।
9. निजी संस्थाओं द्वारा आयोजित किए जाने वाले सम्मेलनों/सेमिनारों में उनके विषय की प्रासंगिकता और गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए हिन्दी अनुभाग के 2–3 कार्मिकों को नामित किया जा सकता है।

10. वर्ष में एक बार नामित करने के पश्चात उस कार्मिक को दोबारा उसी वर्ष नामित न किया जाए, चाहे इस तरह का सम्मेलन किसी अन्य संस्थान द्वारा भी आयोजित किया जा रहा हो।
11. इस तरह के सम्मेलनों /संगोष्ठियों में नामांकन भेजने से पहले यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि कार्यालय के महत्वपूर्ण कार्यों को निपटाने में किसी प्रकार का व्यवधान न हो।
12. हिन्दी अनुभाग के अलावा परिषद के प्रशासन, वित्त और विषय–वस्तु प्रभागों तथा संस्थानों में भी अन्य अनुभागों से भी हिन्दी से जुड़े कार्मिकों/वैज्ञानिकों को उक्त प्रशिक्षण हेतु नामित किया जा सकता है।
13. परिषद मुख्यालय में कार्यरत कार्मिकों के उपलब्ध न होने पर उपर्युक्त संस्था द्वारा जिस शहर में यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, उस शहर में या उसके आस–पास के शहर में स्थित परिषद के संस्थानों/केन्द्रों आदि में कार्यरत वैज्ञानिकों/तकनीकी/हिन्दी कार्मिकों को नामित किया जा सकता है।
14. परिषद मुख्यालय के अलावा परिषद के किसी अन्य संस्थान से कार्मिकों को नामित किया जाता है तो उसके नामांकन तथा टी.ए/डी.ए का भुगतान संबंधित संस्थान द्वारा किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि किसी भी निजी संस्था द्वारा हिन्दी के प्रचार–प्रसार के लिए आयोजित की जाने वाली अखिल भारतीय सम्मेलनों, सेमिनारों और कार्यशालाओं में किसी भी कार्मिक को नामित करने से पूर्व उपर्युक्त दिशा–निर्देश को ध्यान में रखते हुए नामांकन किया जाए तथा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम तदनुसार है।

सीमा चोपड़ा 27.5.16
(सीमा चोपड़ा)
उप–निदेशक (रा.भा.)

वितरण :–

1. भा.कृ.अनु.प. के अधीनस्थ सभी संस्थानों/निदेशालयों/ब्यूरो/केन्द्रों के निदेशक को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. भा.कृ.अनु.प. मुख्यालय, के सभी अधिकारी/अनुभाग जिसमें पूसा स्थित कृ.अनु.भ.–I और II भी शामिल है।
3. उप–सचिव (कार्य अध्ययन एवं तकनीकी सेवा) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. सूचना प्रणाली अधिकारी, (डीकेएमए) कृ.अनु.भ.–I, पूसा, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की कृपया इसे परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करें।
5. गार्ड फाइल।